क्रम-संख्या–331 (ट)

राज.-भ.-एल.-डब्लू./एन.पी. 896
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0–41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 2 नवम्बर, 1998

कार्तिक 11, 1920 शक सम्वत्

## उत्तर प्रदेश सरकार

खाद्य तथा रसद अनुभाग–8

संख्या सी0 पी0 1005/29-8-98-सी0 पी0 41/90

लखनऊ, 2 नवम्बर, 1998

अधिसूचना

प0 आ0—673

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या 68 सन् 1986) की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

### उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नई धारा 2-क और 2-ख का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में नियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

राज्य परिषद् का गठन धारा 7(2)

2—क (1) सरकारी अधिसूचना संख्या सी0 पी0 594/29-8-97 सी0 पी0 41/90, दिनांक 14 मार्च, 1997 में स्थापित राज्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) सरकारी सदस्य :—

| | |
|---|---|
| (क) उत्तर प्रदेश खाद्य तथा रसद विभाग के प्रभारी मंत्री | अध्यक्ष |
| (ख) राज्य सरकार के खाद्य तथा रसद विभाग में, यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव। | सदस्य |
| (ग) राज्य सरकार के उद्योग विभाग में यथा स्थिति प्रमुख सचिव या सचिव। | सदस्य |
| (घ) राज्य सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव। | सदस्य |
| (ङ) राज्य सरकार के कृषि विभाग में, यथा स्थिति प्रमुख सचिव या सचिव। | सदस्य |
| (च) आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग। | सदस्य |
| (छ) राज्य सरकार के परिवहन विभाग में, यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव। | सदस्य |
| (ज) राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, न्याय और विधि परामर्शी। | सदस्य |
| (झ) महाप्रबन्धक, दूरसंचार। | सदस्य |
| (ञ) महानिदेशक, उपभोक्ता संरक्षण, उत्तर प्रदेश। | सदस्य |
| (ट) राज्य सरकार के आवास विभाग में, यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव। | सदस्य |
| (ठ) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश। | सदस्य |
| (ड) औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश। | सदस्य |
| (ढ) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, उ0 प्र0। | सदस्य |
| (ण) प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश। | सदस्य |
| (त) राज्य सरकार के संस्थागत वित्त विभाग में यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव। | सदस्य |
| (थ) प्रबन्ध निदेशक, राज्य मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| (द) अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम। | सदस्य |
| (ध) क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय मानक संगठन, उत्तर प्रदेश। | सदस्य |
| (न) स्टेट को-आर्डिनेटर, भारतीय तेल निगम, उत्तर प्रदेश। | सदस्य |
| (प) राज्य सरकार के नगर विकास विभाग में, यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव। | सदस्य |
| (फ) सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ | सदस्य |
| (ब) डिवीजनल मैनेजर, उत्तर रेलवे, लखनऊ। | सदस्य |
| (भ) आंचलिक प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम | सदस्य |

(म) सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सदस्य

(दो) गैर सरकारी सदस्य

(क) अध्यक्ष के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट विधान सभा सदस्य। पांच सदस्य

(ख) सभापति के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट विधान परिषद् सदस्य। तीन सदस्य

(ग) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे स्वैच्छिक संगठनों/अभिकरणों के प्रतिनिधि। आठ सदस्य

(घ) किसान/सेवा उपक्रमों/निर्माताओं/कुटकर विक्रेताओं तथा प्रमुख व्यापारी संगठनों यथा अवध चैम्बर आफ कामर्स, उद्योग व्यापार मण्डल/पंजाब-हरियाना चैम्बर आफ कामर्स आदि के प्रतिनिधि। आठ सदस्य

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में या समाज के महत्वपूर्ण क्षेत्र में जनहित में कार्य कर रहे प्रतिष्ठित व्यक्ति। सोलह सदस्य

(2) (क) विधान परिषद् और विधान सभा के सदस्य तभी तक पदधारण करेंगे जब तक वे यथास्थिति विधान परिषद या विधान सभा के सदस्य हैं और शेष गैर सरकारी सदस्य अपने नाम-निर्देशन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

2-(ख) राज्य परिषद् अपने कारोबार के संव्यवहार के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी :— राज्य परिषद् की प्रक्रिया धारा 7(4)

(क) राज्य परिषद् की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्य परिषद्, परिषद् की उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिये अपने किसी सदस्य का चयन करेगी।

(ख) राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक प्रत्येक सदस्य को नोटिस जारी करने के दिनांक से दस दिनों (से अधिक नहीं) की अवधि की लिखित नोटिस जारी कर बुलाई जायगी।

(ग) राज्य परिषद् की प्रत्येक नोटिस में बैठक का स्थान, बैठक का दिन और समय निर्दिष्ट किये जायेंगे और उसमें वहां पर किये जाने वाले कारोबार का विवरण भी दिया जायगा।

(घ) राज्य परिषद् की कोई कार्यवाही केवल मात्र इसलिये अविधिमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति विद्यमान थी या परिषद् के गठन में कोई त्रुटि थी।

(ङ) अधिनियम के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले कृत्यों के प्रयोजनार्थ, राज्य परिषद् जैसा आवश्यक समझे स्वयं के सदस्यों में से कार्यकारी दल गठित कर सकती है और इस प्रकार गठित कार्यकारी दल ऐसे कृत्य करेगा जैसा कि राज्य परिषद् उसे सौंपेगी। ऐसी कार्यकारी दलों के निष्कर्ष राज्य परिषद् के विचारार्थ उसके समक्ष पेश किये जायेंगे।

(च) गैर सरकारी सदस्य को राज्य परिषद् या किसी कार्यकारी दल की बैठकों में उपस्थित होने के लिये और वापसी के लिये प्रथम श्रेणी का रेल किराया और सौ रुपया प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता पाने का अधिकार होगा। विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्ते ऐसी दरों से देय होंगे जो ऐसे सदस्यों को अनुज्ञेय होते हैं।

(छ) राज्य परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव निम्नांकित प्रकृति के होंगे।

आज्ञा से,
प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. C. P. 1005/XXIX-8-98-, C. P. 41-90, dated November 2, 1998.

No. C.P. 1005/XXIX—8-98, C.P. 41-90

*Dated Lucknow, November 2, 1998*

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 30 of the Consumer Protection Act, 1986 (Act no. 68 of 1986), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987.

## THE UTTAR PRADESH CONSUMER PROTECTION (THIRD AMENDMENT) RULES, 1998

**Short title and commencement**

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Consumer Protection (Third Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

**Insertion of new rule 2-A and 2-B**

2. In the Uttar Pradesh Consumer Protection Rules, 1987, after rule 2, the following rules shall be *inserted*, namely:—

**Constitution of the State Council [Section 7 (2)]**

2-A. (1) The State Council established in Government notification no. C. P. 594/XXIX—8-97—C. P. 41-90, dated March 14, 1997, shall consist of the following members, namely:—

(*i*) *Official members*:—

(*a*) The Minister Incharge of Food and Civil Supplies Department, Uttar Pradesh — *Chairman*

(*b*) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Food and Civil Supplies Department — *Member*

(*c*) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Industries Department — *Member*

(*d*) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Medical and Health Department — *Member*

(*e*) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Agriculture Department — *Member*

(*f*) Commissioner, Food and Civil Supplies Department — *Member*

(*g*) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Transport Department — *Member*

(*h*) Principal Secretary, Judicial and Legal Remembrancer to the State Government — *Member*

(*i*) General Manager, Telecommunication — *Member*

(*j*) Director General, Consumer Protection Uttar Pradesh — *Member*

(*k*) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Avas Vibhag — *Member*

(*l*) Director of Information Uttar Pradesh — *Member*

(*m*) Drug Controller Uttar Pradesh — *Member*

(*n*) Managing Director Uttar Pradesh Food and Essential Commodities Corporation, Uttar Pradesh — *Member*

(*o*) Managing Director, Provincial Cooperative Federation, Uttar Pradesh — *Member*

(*p*) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Institutional Finance Department — *Member*

(*q*) Managing Director, Rajya Mandi Parishad Uttar Pradesh — *Member*

(*r*) Executive Director, Uttar Pradesh Employees Welfare Corporation — *Member*

(*s*) Regional Officer, Indian Standerd Organisation Uttar Pradesh — *Member*

(*t*) State Co-ordinator, Indian Oil Corporation Uttar Pradesh — *Member*

(*u*) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in Nagar Vikas Vibhag, Uttar Pradesh — *Member*

(*v*) Secretary, Uttar Pradesh State Electricity Board Lucknow — *Member*

(*w*) Divisional Manager, Northern Railway, Lucknow — *Member*

(*x*) Anchalik Prabandhak Life Insurance Corporation — *Member*

(y) Secretary, Co-operative Department Uttar Pradesh Shasan — *Member*

(*ii*) *Non-Official Members*

(*a*) Member Legislative Assembly nominated by the State Government with the approval of the Speaker — *Five members*

(*b*) Member Legislative Council nominated by the State Government with the approval of the Cheirman — *Three members*

(*c*) The representatives of voluntary organisations/agencies, representing the Consumer interests nominated by the State Government — *Eight members*

(*d*) Representatives of Farmers/Services undertakings/Manufacturers/Retailors and Major Trade Organisations such as Avadh Chamber of Commerces, Udyog Vyapar Mandal, Punjab-Hariyana Chamber of Commerce etc. — *Eight members*

(*e*) Noted persons working in the field of Consumer protection or in public interest in the important areas of Society nominated by State Government — *Sixteen members*

(2) (A) The members of the Legislative Council and Legislative Assembly shall hold office till they are members of the Legislative Council or the Legislative Assembly, as the case may be, and the rest of the non-official members shall hold office for a period of three years from the date of their nomination.

Procedure of the state Council [Section 7 (4)]

2-B. State Council shall observe the following procedure in regard to the transaction of its business, namely:—

(*a*) The meeting of the State Council shall be presided over by the chairman, In the absence of the chairman the State Council shall select a member to preside over the meeting of the Council.

(*b*) Each meeting of the State Council shall be called by giving, not less than ten days from the date of issue, notice in writing to every member.

(*c*) Every notice of a meeting of the State Council shall specify the place and the day and hour of the meeting and shall contain statement of business to be transacted in the meeting.

(*d*) No proceedings of the State Council shall be invalid merely by reasons of existence of any vacancy or any defect in the constitution of the Council.

(*e*) For the purpose of performing its functions under the Act, the State Council may constitute from amongst its members, such working groups as it may deem necessary and every working group, so constituted shall perform such functions as are assigned to it by the State Council. The Findings of such working groups shall be placed before the State Council for its consideration.

(*f*) The non-official member shall be entitled to first class railway fare for attending a meeting and for return journey and a daily allowance of one hundred rupees per day for attending a meeting of the State Council or any working group members of Legislative Assembly/Legislative Council shall be entitled to travelling and daily allowances at such rates as are admissible to such members.

(*g*) The resolutions passed by the State Council shall be recommendatory in nature.

By order,
PRABHAT CHANDRA CHATURVEDI,
*Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 12 सा० खाद्य (1950)—1998—2000 (मेको)।